

न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमराँव
स्वत्व वाद सं0 368 / 2020

शिव शंकर मिश्र वगै०.....वादीगण ।

बनाम्

शशि शेखर मिश्र वगै०.....प्रतिवादीगण ।

आदेश

27-11-2024

उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 26.11.2021 को प्रचालित करते हुए यह कथन करते हैं कि इस वाद में न्यायालय द्वारा चार सप्ताह तक खरीद-बेची से सभी पक्षकारों को रोका गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो रही है तथा प्रतिवादी को उपरोक्त वाद के जानकारी होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तथा विवादित ऐराजी बेच दिये हैं जिसकी सच्ची प्रतिलिपि जमा है तथा विवादित ऐराजी बेचने की बात किये हैं जिसके चलते न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2021 को उभय पक्षकारों को खरीद-बिक्री से रोकने के आदेश की अवधि बढ़ाना न्यायोचित है तथा अनुरोध करते हैं दिनांक 30.09.2021 को दिए निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया जाए।

प्रतिवादी सं0 06 अरुण कुमार मिश्रा के तरफ से दिनांक 22.02.2023 के प्रतिउत्तर को प्रचालित करते हुए प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी का आवेदन कानूनतः पोषणीय नहीं है। वादी का आवेदन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन से प्रतिवादी कौन सी जमीन किसके हाथों बिक्री करने की बात-चीत कर रहा है तथा दिनांक 30.09.2021 के बाद कौन सा नया परिवर्तन विवादित ऐराजी के ऊपर किस रूप में हुआ है तथा प्रतिवादीगण के अलावा वादी की स्थिति क्या है, इसका कोई स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया है। प्रतिवादीगण दिनांक 30.09.2021 के आदेश के बाद ना ही कोई जमीन बिक्री किया है और ना ही किसी जमीन को बिक्री करने की बात-चीत किया है। हालांकि

लगातार
27.11.2024

उसे अपनी संपत्ति को अपने तरीके से डिलविथ करने करने का अधिकार है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी संपत्ति को बिक्री करने के पूर्व न्यायालय से अनुमति लेकर बिक्री करेगा। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं वादी का आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

प्रतिवादी सं0 14 ता 16 के तरफ से प्रतिउत्तर दिनांक 12.03.2024 को प्रचालित करते हुए प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि वादी का आवेदन कानूनतः पोषणीय नहीं है। वादी ने उस वक्त मुकदमा बटवारा का किया था तथा अर्जी के जमीमा नं0 02 में वर्णित ऐराजी में 1/2 हिस्से का मांग किया था तथा प्रतिवादी सं0 01 शशि शेखर मिश्रा वगै0 के केबालेदार है और कबाले की ऐराजी पर शांतिपूर्ण ऐराजी पर चले आते है। दिनांक 30.09.2021 को चार सप्ताह के लिए खरीद-बिक्री करने से रोक लगा उसके बाद वह आदेश स्वतः समाप्त हो गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है और न ही उसे कोई क्षति है तथा जिस विषय वस्तु का निपटारा स्वत्व वाद सं0 85 सन् 1955 में पहले ही हो चुका है उसे बगैर तजबीज किये किसी तरह का आदेश करना कानून ठीक नहीं है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि प्रतिवादी सं0 1 से 10 मुकदमा सं0 85 सन 1955 में पारित जजमेन्ट एवं डिक्री वो उसके आलोक में दखल-दहानी से आजतक खुद मुदई वो मौजा मजकुर के व्यक्तियों के बारे में जानकारी है तथा इम्तनाई आदेश पारित करने से प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगा तथा अनुरोध करते हैं कि वादी का आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई पश्चात दिनांक 30.09.2021 को सभी पक्षकारों को

लगातार

27.11.2024

चार सप्ताह तक विवादित भूमि को बिक्री करने से रोकने का आदेश दिया गया था। पुनः वादी द्वारा दिनांक 26.11.2021 को उक्त आदेश को विस्तारित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया तथा करीब तीन वर्ष पश्चात वादी द्वारा उक्त आवेदन को प्रचालित करने का कारण साबित करने में असफल प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण द्वारा भी जो प्रतिउत्तर दाखिल किया है वो इम्तनाई आवेदन पर हुए आदेश दिनांक 30.09.2021 को विस्तारित करने के विरुद्ध आया है न कि मूल इम्तनाई आवेदन पर। ऐसी परिस्थिति में वादी का आवेदन दिनांक 26.11.2021 को, जिसमें निषेधाज्ञा की अवधि विस्तारित करने का अनुरोध है उसे न्यायहित में खारिज किया जाता है।

दिनांक 11.12.2024 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)

**सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमराँव (बक्सर)**